

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.19(10)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 4/12/2019

:: सूचना ::

राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्वाचरण के बारे में Attestation Form की दो प्रतियों में पूर्ति कर दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित करा कर स्वयं के दो रंगीन छायाचित्र सहित इस विभाग को कमरा नं. 1011, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पते पर व्यक्तिशः/डाक द्वारा सात दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि अभ्यर्थियों की राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। इस संबंध में Attestation Form की प्रति विभागीय पोर्टल law.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

नोट:- Attestation Form के कॉलम संख्या 2, 3, 4, 10, 11 में भरा गया पता दिल्ली का होने पर अभ्यर्थी स्वयं के फोटो पहचान पत्र व दिल्ली के Address Proof की छायाप्रति भी आवश्यक रूप से Attestation Form के साथ संलग्न कर प्रेषित करें।


4-12-19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान न्यायिक सेवा
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
जयपुर